प्रथमा यू०पी० ग्रामीण बैंक मुख्य कार्यालय-

contractors/mortgagor.

Date: 09.10.2023



Regional Office: Rana Enclave, Ist Floor, Adarsh Nagar, Near Najibabad Road, Bijnor (UP)- 246701

Auth. Officer - Prathama U.P. Gramin Bank

NOTICE FOR SALE OF PROPERTIES BY PUBLIC AUCTION

(Ad	ccording to the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002	2) (Under Rule 8 (ا
Howe	ever, the authorized officer Pratham U.P. Gramin Bank, in exercise of the powers obtained under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and E	Enforcement of Security
under	Section 13 (2) of the said Act and read with the rules, the borrower and the co-contractors/mortgagors in front of them By issuing notices on the mentioned da	tes, they were demande
ınt mer	ntioned in the demand notice within 60 days. Due to non-deposit of the said amount by the borrower/co-contractors/mortgagor within the aforesaid time period,	the Authorized Officer, ir

Name of Borrower/ Guarantor	Description of Mortgaged Property	Date of Demand		EMD	Nature of	Auction		
& Branch Name		Notice O/u Amount	Reserve Price	Last Date of Deposit	Possession	Date & Time Place		
Sh. Chaman Singh S/o Sh. Rajveer Singh	Residential Property Situated at Mukarpur Khema urf Bukhara,	12.07.2018	Rs. 21.24 Lakh	Rs. 2.12 Lakh	Symbolic	26.10.2023		
	Distt Bijnor (UP). Measuring Total Area- 164.00 Sq. Mtrs., (In the			25.10.2023		11.00 AM to		
Bukhara, Distt Bijnor (UP), Smt. Usha Devi W/o Sh.	name of Sh. Chaman Singh S/o Sh. Rajveer Singh), Registered in	Dt. 30.05.2018				2.00 PM		
Chaman Singh (Guarantor) At: Vill. Saidpur, P.O. Basta,	Bahi No. 1, Zild No- 7766, Pages 323 - 394, Sr. No 3748, Dated	Rs. 18,86,492/-				Civil Lines,		
Tehsil- Chandpur, Bijnor (UP), Sh. Kamendra S/o Sh.		+ intt & other				Bijnor Branch		

by: House of Sh. Anil Bhardwaj, On the South by: House of Sh. Nepal Singh (Guarantor) At: Moh. Arya Nagar, Nai Charges Ashok Kumar, On the East by: Rasta 2.40 Meter Wide & House of Basti, Bijnor (U.P.), Branch: Bijnor Kamla Saini, On the West by: House of Sh. Satprakash Sharma. TERMS AND CONDITIONS OF AUCTION: 1. Before the time of auction, the bidder has to pay 10% of the reserve price by draft/pay order/RTGS/NEFT for EMD, in favor of The authorized officer Prathama U.P.

Gramin Bank, deposit required before bidding. 2. Bidder has to bring his/her Aadhar Card/PAN Card. 3. As soon as the bid of the successful bidder is accepted, he will have to deposit 25% of the auction bid (adjusting Earnest Money) on the same day and the remaining amount within 15 days, otherwise the amount deposited earlier will be forfeited. 4. The above properties will be sold on 'as is where is, as is, what is' basis. The Authorized Officer reserves the right to accept or reject any bid without assigning any reason. 5. The draft/pay order of the unsuccessful bidder will be returned without interest on the same day after auction of the property, 6. The expenses related to the transfer like stamp and registration charges etc. and all other legal expenses will be borne by the successful bidders. 7. All government taxes and dues on the property will be the responsibility of the bidder. 8. For other information, Pratham U. P. Gramin Bank, Bijnor (UP) can be contacted on any working day. 9. The auction will start from the reserve price and the bidders will be able to improve their offer in multiples of Ten thousand (10,000/-). On completion of the auction, the highest bidder will be declared as the successful bidder. 10. If the borrower pays the entire amount due to the bank before the auction, then the auction of the mortgaged property in the above account will be cancelled. 11. This notice shall be read as 15 days notice to the borrower, co-

(6))

मुरादाबाद 244001 (उ.प्र.)

रामगंगा विहार फेज-2

Place: Bijnor

Prathama U.P. Gramin Bank

nterest Act.

प्रथमा यू०पी० ग्रामीण बैंक मुख्य कार्यालय– रामगंगा विहार फेज-2 मुरादाबाद 244001 (उ.प्र.)

दिए गए विवरणानुसार नीलामी द्वारा बेचा जाएगा।

नगर, नई बस्ती, बिजनौर (उ.प्र.)। शाखाः बिजनौर

दिनांक : 09.10.2023

कर्जदार/गारंटर का नाम

व शाखा का नाम



Prathama U.P. Gramin Bank

Regional Office: Rana Enclave, Ist Floor, Adarsh Nagar, Near Najibabad Road,

ईएमडी

जमा करने की

अन्तिम तिथि

25.10.2023

ক. 21.24 লাख ক. 2.12 লাख

कब्जे की

प्रकृति व

सांकेतिक

प्राधिकृत अधिकारी- प्रथमा यू.पी. ग्रामीण बैंक

Bijnor (UP)- 246701

नीलामी की

तिथि व समय

नीलामी का स्थान

26.10.2023

पूर्वा. 11.00 से

अप. 2.00 बजे तक

शाखा :

सिविल लाइन्स,

बिजनौर

आरक्षित मूल्य

मांग सूचना की तिथि

बकाया राशि

12.07.2018

दि. 30.05.2018 तक

ক. 18,86,492 / -

+ ब्याज व

अन्य प्रभार

सावर्जनिक नीलामी द्वारा सम्पत्तियों की बिक्री हेतु सूचना

कर्जदार / सह-संविदादाताओं / बंधकदाताओं द्वारा कथित राशि को भुगतान न करने के कारण, प्राधिकृत अधिकारी ने कथित अधिनियम की धारा 13 (4) और उसमें पठित नियम (8) के अधीन प्रदत्त अधिकारों के अनुपालन में, निम्नांकित खातों में उनके समक्ष अंकित तिथियों को, बंधक पड़ी सम्पत्तियों का कब्जा प्राप्त कर लिया था। इसके बावजूद, कर्जदार / सह—संविदादाताओं / बंधकदाताओं द्वारा कथित राशि को जमा न करने के कारण, बैंक में बंधक पड़ी अचल सम्पत्ति को नीचे

नीलामी की नियम एवं शर्तें :— 1. नीलामी से पूर्व, बोलीदाता को ईएमडी के लिए ड्राफ्ट / पे—ऑर्डर / आरटीजीएस / एनईएफटी के माध्यम से आरक्षित मूल्य का 10 प्रतिशत जमा करना होगा, जो प्राधिकृत अधिकारी प्रथमा यू.पी. ग्रामीण बैंक के पक्ष में देय हो, बोली से पूर्व जमा करना होगा | 2. बोलीदाता को अपना आधार कार्ड / पैन कार्ड साथ लाना होगा | 3. जैसे ही सफल बोलीदाता की बोली स्वीकार की जाती है उसे उसी दिन नीलामी बोली का 25: (धरोहर राशि समायोजित करते हुए) जमा करना होगा तथा शेष रकम 15 दिनों के अंदर जमा करना होगा अन्यथा पूर्व में जमा किया गया रकम को जब्द कर लिया जाएगा। 4. उपरोक्त सम्पत्तियों को "जैसा है जहां है, जैसा भी है, जो भी है" पर बेचा दिया जाएगा। प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताये किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। 5. असफल बोलीदाताओं का ड्राफ्ट 🖊 पे—ऑर्डर सम्पत्ति की नीलामी के बाद उसी दिन बिना किसी ब्याज के वापस कर दिया जाएगा। ६. हस्तांतरण से संबंधित व्यय जैसे स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्कों आदि और अन्य सभी विधायी व्यय सफल बोलीदाताओं द्वारा वहन किए जाएंगे। ७. सम्पत्ति पर सभी सरकारी कर और बकाये की जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी। ८. अन्य जानकारी के लिए, किसी भी कार्य दिवस पर प्रथमा यू. पी. ग्रामीण बैंक, बिजनौर (उ.प्र.) से सम्पर्क करें। 9. नीलामी आरक्षित मूल्य से शुरू होगी और बोलीदाताओं को दस हजार (10,000) के गुणकों में अपनी बोली में सुधार करना होगा। नीलामी समाप्त हो जाने पर सर्वोच्च बोलीदाता को सफल बोलीदाता घोषित किया जाएगा। 10. यदि कर्जदार नीलामी से पहले बैंक को सम्पर्ण रकम का भगतान कर देता है तो उपरोक्त खाते में बंधक सम्पत्ति की नीलामी को रह कर दिया जाएगा। 11. यह

(वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण और पूनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित के प्रवर्तन अधिनियम, २००२ के अनुसार) (नियम ८(६) के अधीन) (वित्तीय आस्तियों केप्रप्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अनुसार) (नियम 8 (6) के अधीन) यद्यपि, प्राधिकृत अधिकारी प्रथमा यू.पी. ग्रामीण बैंक, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन प्राप्त किए गए अधिकारों के अनुपालन में, कथित अधिनियम की धारा 13 (2) और साथ में पठित नियमों के अधीन, उनके समक्ष कर्जदार और सह—संविदादाताओं / बेंधकदाताओं को उनके समक्ष अंकित तिथियों को सूचनाएं जारी की गई, उनसे 60 दिनों के अंदर मांग सूचना में अंकित राशि का भुगतान करने की मांग की गई थी। निर्दिष्ट समयाविध के अंदर

बंधक अचल सम्पत्ति का विवरण

परब की ओर: रास्ता 2.40 मीटर चौडा व कमला सैनी का मकान, पश्चिम की

स्थान : बिजनौर

श्री चमन सिंह पुत्र श्री राजवीर सिंह (कर्जदार / बंधककर्ता) रिहायशी सम्पत्ति स्थित है मुकरपुर खेमा उर्फ बुखारा, जिला– बिजनौर (उ.प्र.),

पताः मुकरपुर खेमा उर्फ बुखारा, जिला— बिजनौर (उ.प्र.), कुल क्षेत्रफल— 164.00 वर्ग मींठ, (श्री चमन सिंह पुत्र श्री राजवीर सिंह के नाम), बही

श्रीमतीं उषा देवी पत्नी श्री चमन सिंह **(गारंटर)** पताः ग्राम सें.-1, जिल्द सं.- 7766, पृष्ठ सं.- 323 से 394, क्र. सं.- 3748, दि. 17.03.2015

सैदपुर, पोस्ट बस्ता, तहसील चांदपुर, बिजनौर (उ.प्र.), श्री पर सब रजिस्ट्रार कार्यालय बिजनौर (उ.प्र.) में दर्ज है। परिसीमा– उत्तर की

कार्मेन्द्र पुत्र श्री नेपाल सिंह (गारंटर) पता : मुहल्ला आर्य ओर: श्री अनिल भारद्वाज का मकान, दक्षिण की ओर: अशोक कुमार का मकान,

ओर: श्री सतप्रकाश शर्मा का मकान

सूचना कर्जदार, सह—संविदादाओं / बंधकदाताओं को 15 दिनों की सूचना के रूप में पढ़ा जाए।